

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष- 91-0755-2583650 फ़ैक्स- 91-0755-2583651
ई-मेल dpinmp@sancharmet.in

कमांक/स्था-1/राज/पी/88/09/399

भोपाल, दिनांक 27/3/10

:: आदेश ::

संबंधित श्रीमती पुष्पा अतरोलिया व्याख्याता शास. कस्तूरबा कन्या उ.मा.वि. इंदौर का संचालनालय के आदेश कमांक/स्था-1/राज/पी./72/2009/957 भोपाल दिनांक 14.7.2009 द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल पद पर पदोन्नत कर शासकीय हाईस्कूल खुटलाखेड़ा खण्डवा में पदस्थ किया गया। जिस पर संबंधित द्वारा मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका कमांक 4765/2009 (एस) दर्ज की जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 22.7.2009 को हुआ एवं जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर द्वारा स्थगन आदेश का पालन किया गया एवं दिये गये निर्देश के क्रम में संबंधित का अभ्यावेदन विचारार्थ रखा गया। चूंकि संबंधित व्यक्तिगत कारणों से हाईस्कूल प्राचार्य पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं लेना चाहती है।

अतः पूर्ण विचारोपरांत संबंधित श्रीमती पुष्पा अतरोलिया की हाईस्कूल प्राचार्य पद पर की गई पदोन्नति निरस्त की जाती है।

पृ.कमांक/स्था-1/राज/पी/88/09/400
प्रतिलिपि:-

शु
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 27/3/10

- 1-प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2-माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर।
- 3-संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ इंदौर म.प्र.।
- 4-संयुक्त संचालक विधि स्थानीय।
- 5-जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर म.प्र.।
- 6-संबंधित श्रीमती पुष्पा अतरोलिया व्याख्याता शास. कस्तूरबा कन्या उ.मा.वि. इंदौर

शु
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.


क्रमांक/स्था-1/राज/पी/88/09/398

भोपाल, दिनांक 27/3/10

:: आदेश ::

संबंधित श्री रमेश कुमार पांडे व्याख्याता शास. सिन्धी उ.मा.वि. इंदौर का संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था-1/राज/पी./72/2009/957 भोपाल दिनांक 14.7.2009 द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल पद पर पदोन्नत कर शासकीय हाईस्कूल जसौंदी बुरहानपुर में पदस्थ किया गया। जिस पर संबंधित द्वारा मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक 4781/2009 (एस) दर्ज की जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 22.7.2009 को हुआ एवं जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर द्वारा स्थगन आदेश का पालन किया गया एवं दिये गये निर्देश के क्रम में संबंधित का अभ्यावेदन विचारार्थ रखा गया। चूंकि संबंधित व्यक्तिगत कारणों से हाईस्कूल प्राचार्य पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं लेना चाहते हैं।


अतः पूर्ण विचारोपरांत संबंधित श्री रमेश कुमार पांडे की हाईस्कूल प्राचार्य पद पर की गई पदोन्नति निरस्त की जाती है।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 27/3/10

पृ. क्रमांक/स्था-1/राज/पी/88/09/398

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2-माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर।
- 3-संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ इंदौर म.प्र.।
- 4-संयुक्त संचालक विधि स्थानीय।
- 5-जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर म.प्र.।
- 6-संबंधित श्री रमेश कुमार पांडे व्याख्याता शास. सिन्धी उ.मा.वि. इंदौर


आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.